बिल का सारांश

राजस्थान संगठित अपराध का नियंत्रण बिल, 2023

- राजस्थान संगठित अपराध का नियंत्रण बिल, 2023 को राजस्थान विधानसभा में 15 मार्च, 2023 को पेश किया गया। इस बिल का उद्देश्य संगठित अपराध को रोकने और नियंत्रित करने के लिए विशेष प्रावधान करना है।
- **संगठित अपराध**: संगठित अपराध किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी आपराधिक संगठन के सदस्य के तौर पर या उस संगठन की ओर से की गई गैरकानूनी गतिविधि को कहा जाता है। यह अपराध निम्नलिखित का उपयोग करके किया जाता है: (i) हिंसा, (ii) धमकी, (iii) डराकर या (iv) अन्य अवैध तरीकों से। इन गतिविधियों के उद्देश्यों में निम्नलिखित शामिल हो सकता है: (i) धन संबंधी या आर्थिक फायदा हासिल करना, या (ii) विद्रोह को बढ़ावा देना। निरंतर गैरकानूनी गतिविधि ऐसी गतिविधि को कहा जाता है, जोकि (i) संज्ञेय अपराध है, जिसके लिए न्यूनतम तीन वर्ष के कारावास की सजा है और (ii) पिछले 10 वर्षों में एक से अधिक चार्जशीट दायर की गई हैं। संगठित अपराध सिंडिकेट उसे कहा गया है जिसमें दो या उससे अधिक व्यक्ति संगठित अपराध में शामिल हैं।
- **संगठित अपराध से संबंधित सजा**: बिल संगठित अपराध से संबंधित विभिन्न अपराधों के लिए सजा का प्रावधान करता है। यदि किसी अपराध के परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु दंड या आजीवन कारावास के साथ न्यूनतम एक लाख रुपए का जुर्माना होगा। अगर किसी व्यक्ति के पास किसी संगठित अपराध सिंडिकेट के सदस्य की ओर से बेहिसाब संपत्ति का कब्जा है, या कभी उसके पास यह कब्जा रहा है तो उसे तीन से 10 वर्ष तक के कारावास और कम से कम एक लाख रुपए के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। इसके अलावा न्यायालय राज्य सरकार को दोषी की चल या अचल संपत्ति को जब्त करने की अनुमति दे सकता है।
- संगठित अपराध के अन्य मामलों में: (i) संगठित अपराध करने के लिए उकसाना, (ii) संगठित अपराध सिंडिकेट के किसी सदस्य को शरण देने की कोशिश करना, या (iii) संगठित अपराध सिंडिकेट का सदस्य होना, सजा पांच वर्ष से लेकर आजीवन कारावास और न्यूनतम पांच लाख रुपए का जुर्माना होगा।
- **संचार का अंतररोध (इंटरसेप्शन ऑफ कम्यूनिकेशन)**: बिल के तहत एक पुलिस अधिकारी (अधीक्षक या उससे ऊंचे पद का) वायर, इलेक्ट्रिक या मौखिक संचार का अंतररोध कर सकता है, अगर उस अंतररोध से संगठित अपराध का सबूत मिल सकता है या मिला है। इसके लिए उस अधिकारी को संबंधित प्राधिकरण से प्राधिकृति लेनी होगी। यह संबंधित प्राधिकरण गृह मामलों के विभाग का सरकारी अधिकारी होगा जिसका पद सरकार के सचिव के स्तर से कम नहीं होना चाहिए। प्राधिकृति के आवेदन में निम्नलिखित सूचना होनी चाहिए: (i) अंतररोध के इस्तेमाल को तार्किक ठहराने वाले तथ्य और परिस्थितियां, (ii) अगर इंटेलिजेंस के दूसरे तरीके इस्तेमाल किए गए हैं और उनसे नाकामी हाथ लगी है, (iii) अंतररोध की अवधि, और (iv) उस व्यक्ति के खिलाफ संचार के अंतररोध की प्राधिकृति हेतु पूर्व आवेदन। संबंधित प्राधिकरण उस आवेदन को स्वीकार कर सकता है, अगर कुछ शर्तों को पूरा किया जाता है। इन शर्तों में निम्नलिखित शामिल हैं: (i) ऐसे संभावित कारण हैं कि संगठित अपराध किया जा रहा है, (ii) इंटेलिजेंस के दूसरे तरीके नाकाम हो गए हैं या अपर्याप्त हैं, और (iii) अपराध से संबंधित संचार को ऐसे अंतररोध के जरिए हासिल किया जा सकता है।
- संबंधित प्राधिकरण का फैसला, कारणों सहित समीक्षा समिति को भेजा जाएगा। समिति की अध्यक्षता सरकार के मुख्य सचिव द्वारा की

प्रतिनव दमानी
pratinav@prsindia.org

16 मई, 2023

जाएगी और समिति में दो सदस्य होंगे। समिति संबंधित प्राधिकरण के फैसले को मंजूर या नामंजूर कर सकती है।

- **अंतररोध से संबंधित अपराध और दंड**: बिल के दायरे से बाहर संचार का अंतररोध करने या अंतररोध की कोशिश करने वाले पुलिस अधिकारियों को एक वर्ष तक का कारावास और 50,000 रुपए तक का जुर्माना भुगतना होगा। अन्य दंडनीय अपराधों में निम्नलिखित शामिल हैं: (i) अंतररोध का ब्यौरा अन्य व्यक्तियों को देना, और (ii) समीक्षा समिति के आदेशों का उल्लंघन करना।
- **सुनवाई**: राज्य सरकार बिल के तहत अपराधों की सुनवाई के लिए एक या अधिक विशेष न्यायालयों का गठन कर सकती है। इन न्यायालयों की अध्यक्षता राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से राज्य सरकार द्वारा नियुक्त न्यायाधीश करेंगे। न्यायाधीश सत्र न्यायाधीश होना चाहिए। राज्य एक सरकारी वकील को भी नियुक्त करेगा। बिल के तहत आरोपी को दोषी माना जाएगा, अगर: (i) उसके पास से अवैध हथियार और सामान जैसे दस्तावेज बरामद किए जाते हैं, या (ii) किसी विशेषज्ञ के सबूत से पता चलता है कि आरोपी के फिंगरप्रिंट साइट या सबूतों, जैसे दस्तावेजों और गैरकानूनी हथियारों से बरामद किए गए हैं।
- कोई भी कार्यवाही बंद कमरे में की जा सकती है। विशेष न्यायालय गवाहों की सुरक्षा के लिए अनुमति दे सकता है जैसे उन आदेशों, निर्णयों या अभिलेखों में गवाहों के नाम और पते का उल्लेख करने से बचना जो सार्वजनिक रूप से सुलभ हैं।

अस्वीकरणः प्रस्तुत रिपोर्ट आपके समक्ष सूचना प्रदान करने के लिए प्रस्तुत की गई है। पीआरएस लेजिसलेटिव रिसर्च (पीआरएस) के नाम उल्लेख के साथ इस रिपोर्ट का पूर्ण रूपेण या आंशिक रूप से गैर व्यावसायिक उद्देश्य के लिए पुनःप्रयोग या पुनर्वितरण किया जा सकता है। रिपोर्ट में प्रस्तुत विचार के लिए अंततः लेखक या लेखिका उत्तरदायी हैं। यद्यपि पीआरएस विश्वसनीय और व्यापक सूचना का प्रयोग करने का हर संभव प्रयास करता है किंतु पीआरएस दावा नहीं करता कि प्रस्तुत रिपोर्ट की सामग्री सही या पूर्ण है। पीआरएस एक स्वतंत्र, अलाभकारी समूह है। रिपोर्ट को इसे प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के उद्देश्यों अथवा विचारों से निरपेक्ष होकर तैयार किया गया है। यह सारांश मूल रूप से अंग्रेजी में तैयार किया गया था। हिंदी रूपांतरण में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता की स्थिति में अंग्रेजी के मूल सारांश से इसकी पुष्टि की जा सकती है।